सं. 11017/6/2013-हिंदी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 06 जनवरी, 2017

सेवा में,

नोडल अधिकारी/सीपीआईओ (आरटीआई),
एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएनएल,
टीएचडीसीआईएल, नीपको, पीजीसीआईएल,
पीएफसी एवं आरईसी।

विषयः आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 31 दिसंबर, 2016 के संदर्भ विद्युत मंत्रालय/सूका/पौष शुक्ल/तृतीय/2016-01 का संदर्भ लें जिसमें श्री प्रवीण जैन अ-201, आदीश्वर सोसायटी, सेक्टर-9अ, वाशी, नवी मुंबई-400703 द्वारा बिन्दु संख्या 6 के बारे में जानकारी मांगी गई है जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित है। अतः आपसे अनुरोध है कि आवेदक श्री प्रवीण जैन को अपेक्षित सूचना देते हुए मंत्रालय के राजभाषा विभाग को भी सूचित करें। आवेदक के दिनांक 31 दिसंबर, 2016 के पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(सत्यमूर्ति नागेश)
सहायक निदेशक एवं सीपीआईओ
हिंदी अनुभाग

प्रतिलिपिः

श्री प्रवीण जैन अ-201, आदीश्वर सोसायटी, सेक्टर-9अ, वाशी, नवी मुंबई-400703 आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्राप्त न होने पर इस पत्र की प्रेषिती के साथ कार्रवाई करें।

RTI MATTER ACER

सन्दर्भ: विद्युत मंत्रालय /सूका/पौषशुक्लतृतीय/2016-01

दिनांक: 31 दिसंबर 2016

सेवा में,
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
विद्युत मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय: विद्युत मंत्रालय ("मंत्रालय") के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन आवेदन

आदरणीय महोदय/महोदया,

कृपया निम्न सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें:

1. मंत्रालय की पिछले दो वर्षों अर्थात 2015, 2016 में आयोजित की गई राजभाषा कार्यान्वयन एवं हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों का विवरण निम्न प्रारूप में सूचित करें:

क्र	**बैठक का प्रकार**	**बैठक का दिनांक**	**बैठक में उपस्थित व्यक्तियों एवं सदस्यों के नाम**	**बैठक के कार्यवृत्त (मिनट) किस भाषा में उपलब्ध हैं**
	राजभाषा कार्यान्वयन समिति/ हिंदी सलाहकार समिति			हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों

2. मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी हिंदी टंकण/टाइपिंग में प्रशिक्षित हैं, सूचित करें।
3. राजभाषा विभाग का निर्देश है कि वेबसाइट को 100% द्विभाषी बनाया जाए। मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट की कितने प्रतिशत सामग्री (कंटेट) राजभाषा में उपलब्ध है, कृपया सूचित करें।
4. मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट के हिंदी संस्करण के लिए हिंदी सामग्री तैयार करने एवं उसे हिंदी वेबसाइट पर अद्यतित/अपलोड करने की जिम्मेदारी किस अनुभाग के किस अधिकारी की है, उनके नाम, पदनाम एवं ईमेल पते सूचित करें। यदि आधिकारिक ईमेल पते उपलब्ध न हों तो कृपया मोबाइल नंबर सूचित करें।
5. मंत्रालय में मूल रूप से कौन-2 से कार्य राजभाषा में संपन्न किए जाते हैं, सूचित करें।
6. मंत्रालय के अधीन कार्यरत/संचालित सभी ऑनलाइन सेवाओं/वेबसाइटों की सूची इस प्रारूप में प्रदान करें:

क्रमांक	**ऑनलाइन सेवा / वेबसाइट / मोबाइल वेबसाइट का डोमेन नाम /मोबाइल एप का नाम**	**देवनागरी में डोमेन (उपलब्ध हो तो लिखें अन्यथा "नहीं" लिखें)**	**राजभाषा हिंदी संस्करण उपलब्ध है**	**हिंदी संस्करण पर उपलब्ध हिंदी सामग्री का प्रतिशत** (% of Hindi Content vis-a-

				vis Eng version)
			हाँ /नहीं	

7. मंत्रालय की हिंदी वेबसाइट की पूरी 100% सामग्री को कब तक हिंदी में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, इसके लिए बनाए गए लक्ष्य की सूचना प्रदान करें।
8. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार **भारत की एकमात्र राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है**, कुछ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की छूट दी गई है। ऐसे में मंत्रालय द्वारा संचालित सभी वेबसाइटों/मोबाइल वेबसाइटों/मोबाइल एप्प आदि पर हमेशा अंग्रेजी को प्राथमिकता देना, हमेशा अंग्रेजी वेबसाइट को हिंदी वेबसाइट से पहले अद्यतित करना, हिंदी वेबसाइट पर ध्यान न देना संविधान विरुद्ध प्रतीत होता है, ब्राउज़र में जब भी मंत्रालय की किसी भी वेबसाइट का पता लिखते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी वेबसाइट खुलती है,अंग्रेजी न जानने वाले लोगों के लिए मंत्रालय की सभी वेबसाइटों का नेविगेशन बहुत कठिन है। अर्थात मंत्रालय की सभी वेबसाइटों पर अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई और राजभाषा के पद और गरिमा का बिलकुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। मंत्रालय की सभी वेबसाइटों पर राजभाषा हिंदी को प्राथमिकता देने में मंत्रालय के सामने आ रही समस्या/तकनीकी कठिनाई सूचित करें।
9. मंत्रालय द्वारा राजभाषा विभाग को भेजी जाने वाली राजभाषा अनुपालन की पिछली एक तिमाही की रिपोर्ट उपलब्ध करवाएँ और यह भी सूचित करें कि पिछली तिमाही रिपोर्ट राजभाषा विभाग को किस दिनांक को भेजी गयी थी।
10. मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/समारोहों/बैठकों में उपस्थितों नामपट/नेमप्लेट को राजभाषा अथवा द्विभाषी (एकसाथ हिंदी-अंग्रेजी में) में छापने/बनवाने में आ रही समस्या सूचित करें.

धन्यवाद सहित,

आवेदक

प्रवीण जैन
अ 201, आदीश्वर सोसाइटी
सेक्टर 9 अ, वाशी, नवी मुम्बई -400703.